



बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank

क्षेत्रीय कार्यालय, सिटी रोड, प्रतापगढ़ - 230001
(ई मेल : roprat@barodauprrb.co.in)

सार्वजनिक बिक्री
नीलामी सूचना/
नीलामी तिथि 14.06.2023
(अचल सम्पत्तियों हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4)
(सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (नियमों, 2002 के नियम 6(2) और / या
नियम 8 (6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13 (2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ौदा यू 0 पी 0 बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार (रैं) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार (रैं) / गारंटीदाता (ओं) बंधकदाता (ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 (4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और/या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति / संपत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रैं) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक / प्रभारित पड़ी है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू 0 पी 0 बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को "जैसा है जहां है, जैसा है जो है" और "जो है वही है" आधार पर बेचा जायेगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रैं) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं / कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को 13.06.2023 को या उससे पहले, बड़ौदा यू. पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, सिटी रोड, प्रतापगढ़ में मुहुरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। निविदा 14.6.2023 को खोली जायेगी।

क्र० सं०	बकायेदार/जमानतदार का नाम, पता व खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि/ अधिग्रहण तिथि/ अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (रु०)	वकील/क्र./कुल/क/ वीखे/कुल/क/ (रु०)	
शाखा : प्रतापगढ़, जिला: प्रतापगढ़ खाता सं०- 53450400000245 - 53450600004077						
1.	ऋणकर्ता:- मैसर्स गुप्ता कोल्ड ड्रिंक एजेंसी प्रो०- श्री विनोद कुमार गुप्ता एवं श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र भगोती प्रसाद गुप्ता, पता: ग्राम/मोहल्ला- गायघाट रोड, दहिलामऊ, जिला: प्रतापगढ़ (उ०प्र०) जमानतकर्ता:- 1. श्री महेश कुमार पुत्र श्री हीरालाल पता:- ग्राम/ मोहल्ला गाजी चौराहा बलीपुर पोस्ट और जिला-प्रतापगढ़ 2. श्रीमती प्रतापी देवी पत्नी भगोती प्रसाद गुप्ता पता:- ग्राम/मोहल्ला- दहिलामऊ, तहसील-सदर, जिला- प्रतापगढ़. 230001 3. श्री भगोती प्रसाद गुप्ता पुत्र बचई पता:- ग्राम/मोहल्ला- ग्राम- दहिलामऊ, तहसील- सदर, जिला- प्रतापगढ़। 230001	सभी भाग व पारसल से मिलकर की सम्पत्ति का भूमि और भवन, सुरक्षा का विवरण:- प्राथमिक: शून्य, संपार्थिक प्रतिभूतियां संपत्ति -1 सांथिक बंधक का भूमि एवं भवन का निर्माण प्लॉट नंबर 106/1 एवं 106/2 पर, क्षेत्रफल 2720 वर्ग फीट जो ग्राम - दहिलामऊ, तहसील - सदर, जिला: प्रतापगढ़ में स्थित है। स्वामित्व- श्रीमती प्रतापी देवी पत्नी भगोती प्रसाद गुप्ता, पता- ग्राम/मोहल्ला- ग्राम- दहिलामऊ, तहसील- सदर, जिला- प्रतापगढ़ 230001 चौहददी:- पूर्व:- रास्ता 16'0" चौड़ा फिर शांति देवी पत्नी बेरागी प्रसाद शर्मा का घर व चार दीवारी, पश्चिम: राम बहादुर पाल का घर, उत्तर: राम चंद्र और राम अजोर शर्मा का घर, दक्षिण: रोड (प्रतापगढ़ से गवरा)	मांग सूचना की तिथि 01.10.2022 अधिग्रहण सूचना की तिथि 14.12.2022 प्रतीकात्मक	रु 5000000/- + ब्याज रिक्सल रु 220532.48/- व 26/09/2022 से ब्याज व रु 4500000/- + ब्याज रिक्सल रु 47696/- व 26/09/2022 से देय ब्याज व अन्य अनुमन्य व्यय (मांग सूचना के बाद जमा की गई राशि घटाये)	सम्पत्ति 1 1,06,20,000/- सम्पत्ति 2 47,25,000/- 4,72,500/-	
	संपत्ति -2 सांथिक बंधक का भूमि एवं भवन का निर्माण प्लॉट नंबर 102 min पर, क्षेत्रफल - 1360.00 वर्ग फीट ग्राम - दहिलामऊ, तहसील - सदर, जिला: प्रतापगढ़ में स्थित है। स्वामित्व- श्री भगोती प्रसाद पुत्र बचई पता - ग्राम/मोहल्ला - ग्राम - दहिलामऊ, तहसील - सदर, जिला: प्रतापगढ़ 230001 चौहददी:- पूर्व: कन्हई पाल का घर, पश्चिम: लिक रोड पूरे ईश्वरनाथ फिर मकान बहाइच, उत्तर: रोड (गवरा से प्रतापगढ़), दक्षिण: कन्हई पाल का घर।					

शाखा : विकास भवन, जिला: प्रतापगढ़ खाता सं०- 566506000000964					
2.	ऋणकर्ता: श्री विनीत कुमार शुक्ला पुत्र श्री दिनश प्रसाद शुक्ला जमानतकर्ता:- श्री रमेश कुमार तिवारी पुत्र श्री गुरु दीन पता: ग्राम मोहल्ला- पुरे ईश्वरनाथ, पोस्ट- प्रतापगढ़, जिला- प्रतापगढ़। 2. श्री अनिल कुमार मिश्रा पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद पता- ग्राम मोहल्ला - सगरा (अष्टभुजा नगर), पोस्ट- प्रतापगढ़, जिला- प्रतापगढ़।	सभी भाग और पारसल से मिलकर सांथिक बंधक का प्लॉट संख्या 391एम, क्षेत्रफल 0.007 हेक्टेयर स्थित: राजस्व ग्राम, चकबनटोड, संसारा, तहसील सदर, जिला- प्रतापगढ़, मालिक श्री विनीत कुमार शुक्ला पुत्र श्री दिनेश प्रसाद शुक्ला, पता- टीचर्स कॉलोनी, पुरे ईश्वरनाथ, जिला: प्रतापगढ़ (यू.पी.) चौहददी:- उत्तर- प्लॉट विजय सिंह, दक्षिण-प्लॉट अंजिता तिवारी, पूर्व-प्लॉट सुधा पटेल और रेशम, पश्चिम- रोड 16 चौड़ा।	मांग सूचना की तिथि 14.03.2018 अधिग्रहण सूचना की तिथि 10.01.2019 प्रतीकात्मक	रु 14,18,356/- + ब्याज दिनांक 01.09.2017 से + अन्य शुल्क (मांग सूचना के बाद जमा की गई राशि घटाये)	आरक्षित धनराशि 12,00,000/- अग्रिम धनराशि 1,20,000/-

शाखा : शमशेरगंज, जिला: प्रतापगढ़ खाता सं०- 54010400000306					
3.	ऋणकर्ता: श्री जलीलुद्दीन पुत्र श्री मिन्हाजुद्दीन और श्री मोहम्मद नसीम पुत्र श्री जलीलुद्दीन ग्राम/मोहल्ला कटवड़, दीनापट्टी, पोस्ट- चमरपुर शुक्लान, जिला: प्रतापगढ़ (यू.पी.) जमानतकर्ता: श्री नौशाद खान पुत्र संसार खान, पता: ग्राम/मोहल्ला कटवड़, दीनापट्टी, पोस्ट- चमरपुर शुक्लान, जिला: प्रतापगढ़ (यू.पी.) व मोहम्मद हदीश पुत्र श्री सिराजुल हसन पता: ग्राम/मोहल्ला- चमरपुर शुक्लान, पोस्ट- चमरपुर शुक्लान, जिला: प्रतापगढ़।	सभी भाग व पारसल से मिलकर की सम्पत्ति का प्लॉट नंबर 139, क्षेत्रफल- 1260 वर्गमीटर ग्राम+पोस्ट- चमरपुर शुक्लान (शमशेरगंज), तहसील- लालगंज, जिला: प्रतापगढ़ (यू.पी.)स्वामित्व- श्री जलीलुद्दीन पुत्र श्री मिन्हाजुद्दीन, पता:-ग्राम/मोहल्ला- कटवड़, दीनापट्टी पोस्ट- चमरपुर शुक्लान, जिला: प्रतापगढ़ (यू.पी.) चौहददी (बेनामे के अनुसार): पूर्व: शमशेरगंज से नौबस्ता रोड, पश्चिम: फतेह मोहम्मद और जयकरन का प्लॉट, उत्तर: रियाज अली का प्लॉट और अन्य, दक्षिण: एडीएम स्कूल। संपत्ति की चौहददी (साइट के अनुसार): पूर्व: समशेरगंज से बदनी रोड, पश्चिम: जयकरन का प्लॉट, उत्तर: बाग राम गोपाल, दक्षिण: अन्य का प्लॉट।	मांग सूचना की तिथि 15.09.2021 अधिग्रहण सूचना की तिथि 22.09.2022 प्रतीकात्मक	रु 10,75,689/- + दिनांक 31.07.2021 से देय ब्याज अन्य अनुमन्य व्यय (मांग सूचना के बाद जमा की गई राशि घटाये)	आरक्षित धनराशि 32,50,000/- अग्रिम धनराशि 3,25,000/-

शाखा : लालगंज अझारा, जिला: प्रतापगढ़ खाता सं०- 54110400000579					
4.	ऋणकर्ता: मैसर्स एस.के. कौशल फेंसी वेअर्स प्रो०:- श्री संदीप कुमार कौशल व श्री संदीप कुमार कौशल पुत्र स्व. श्री सूर्य लाल कौशल ग्राम/मोहल्ला- शितलमऊ, लालगंज तहसील के पीछे, पोस्ट- लालगंज, जिला- प्रतापगढ़ (उ०प्र०)। जमानतकर्ता:-1. श्रीमती आशा कौशल पत्नी श्री सूर्य लाल कौशल ग्राम/मोहल्ला- शितलमऊ, पोस्ट- लालगंज, जिला- प्रतापगढ़ (उ०प्र०)। 2. श्री राकेश कुमार कौशल पुत्र श्री ब्रिज लाल कौशल, ग्राम/मोहल्ला- शितलमऊ, पोस्ट- लालगंज, जिला- प्रतापगढ़ (उ०प्र०)।	प्रतिभूति - रजिस्टर्ड बन्धक भूमि व मकान प्लॉट नं० 447 क्षेत्रफल:- 63.25 वर्ग मीटर, स्थित:- ग्राम/मोहल्ला- शितलमऊ, पोस्ट- लालगंज, जिला- प्रतापगढ़ (उ०प्र०)। स्वामित्व- श्रीमती आशा कौशल पत्नी श्री सूर्य लाल कौशल, ग्राम/मोहल्ला- शितलमऊ, पोस्ट- लालगंज, जिला- प्रतापगढ़ (उ०प्र०)। चौहददी (बेनामे के अनुसार): पूर्व - रोड, पश्चिम कच्चा रास्ता, उत्तर मकान परम राज पाण्डेय, दक्षिण- मकान शशी सोनी। संपत्ति की चौहददी (साइट के अनुसार): पूर्व: आर.सी. रोड 11" चौड़ा, पश्चिम: गली व मकान नवीन सिंह, उत्तर: मकान अनिल कुमार सिंह, दक्षिण: मकान तरसवुगत निशा	मांग सूचना की तिथि 05.12.2021 अधिग्रहण सूचना की तिथि 05.05.2022 प्रतीकात्मक	रु 13,00,511/- + दिनांक 01.08.2021 से देय ब्याज अन्य अनुमन्य व्यय (मांग सूचना के बाद जमा की गई राशि घटाये)	आरक्षित धनराशि 14,25,000/- अग्रिम धनराशि 1,42,500/-

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहुरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में प्रतापगढ़ में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष बची बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में उसी दिन/अगले दिन बोली रकम (ईएमडी शामिल रहेगा) का 25% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली/ सर्वोच्च बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों / देनदारियों/ भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं का एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। हालांकि कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हों। वे अपराह्न 12:00 बजे से साथ 04:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख / निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता/ सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानी <https://www.barodaupbank.com/sarfaesinotice.php>

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना
कर्जदारों/ गारंटीदाताओं/ कानूनी वारिसों/ बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो ऐसे उचित ब्याज प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

दिनांक:- 29.04.2023 स्थान:- प्रतापगढ़ प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक